

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 123 / संचा.-वि.स. / 2025
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

1. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन
संघ मर्या., मुख्यालय,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
2. प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति
निगम, मुख्यालय,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
3. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 31 अतारांकित द्वारा श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

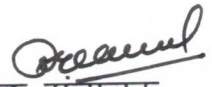
—000—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 31 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 03/07/2025 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)।

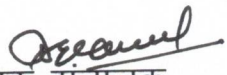
संलग्न—उपरोक्तानुसार


सहायक संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण

पृ0 क्रमांक 124 / संचा.-वि.स. / 2025
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर, आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


सहायक संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 11/07/2025

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/07/2025 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : कस्टम मिलिंग एवं भुगतान।

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 31) श्रीअजय चंद्राकर

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खरीफ वर्ष 2024-25 अंतर्गत कितने मात्रा धान की कस्टम मिलिंग किया जाना है और 15 जून, 2025 की स्थिति में कितनी मात्रा धान की कस्टम मिलिंग हेतु उठाव किया जा चुका है तथा कितनी मात्रा का कस्टम मिलिंग कर जमा कर दी गयी है? जमा करने का समयावधि क्या तय की गयी है? (ख) उक्त अवधि में खरीफ वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कितनी मात्रा धान की कस्टम मिलिंग कर, जमा नहीं की गयी है और उसका मूल्य कितना है तथा जमा नहीं करने का कारण क्या है और कब तक जमा करने की समयावधि तय की गयी है? (ग) उक्त अवधि में राईस मिलर्स को किन-किन वर्षों की कस्टम मिलिंग का, कितनी-कितनी राशि का भुगतान करना शेष है? तथा उसका कारण क्या है? ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिसमें मिलर्स द्वारा देयक प्रस्तुत करने के उपरांत भी भुगतान अब तक भुगतान नहीं किया गया है? वर्षवार बतायें?

Sent From : vidhan | Sent Date : 01/07/2025 11:26:01 |

Remark :

समस्त के.
भा.के.के.,
नान